



मध्यप्रदेश विधान सभा
संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)
सोमवार, दिनांक 12 फरवरी, 2024 (माघ 23, शक संवत् 1945)
विधान सभा पूर्वाह्न 11.02 बजे समवेत हुई।
अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए।

1. प्रश्नोत्तर.

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 13 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1,2,3,4,5,6,9,10,12,13,14,15 एवं 16) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 128 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 133 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. शून्यकाल में मौखिक उल्लेख.

श्री उमंग सिंधार, नेता प्रतिपक्ष द्वारा बैतूल जिले में एक आदिवासी का अपहरण किए जाने संबंधी घटना पर शासन से वक्तव्य देने की मांग संबंधी मौखिक उल्लेख किया गया।

3. नियम 267 क- के अधीन विषय.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएँ आज अपराह्न में कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री के उत्तर के बाद ली जाएँगी।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना।

(1) श्री जगदीश देवडा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) द्वारा -

(क) वित्तीय वर्ष 2022-23 की द्वितीय छ: माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छ: माही समीक्षा विवरण एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 की प्रथम छ: माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छ: माही समीक्षा विवरण, तथा

(ख) मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियम, 2006 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 की अनुपालन एवं पुनर्विलोकन रिपोर्ट पटल पर रखे गए।

(2) श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री द्वारा-

(क) मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 एवं तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 तथा

(ख) मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का 8 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 पटल पर रखे गए।

(3) श्री एदल सिंह कंषाना, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री द्वारा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर की वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2021-22 पटल पर रखा गया।

(4) श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा -

(क) (i) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023 (30 जून, 2023 को समाप्त अकादमिक वर्ष) व (ii) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल का 51वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23

(ख) महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, करौंदी जिला-कटनी का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 एवं

(ग) महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, जिला-सतना (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 पटल पर रखे गए.

(5) श्रीमती कृष्णा गौर, राज्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022 पटल पर रखा गया.

(6) श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी, राज्यमंत्री संस्कृति द्वारा नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 पटल पर रखा गया.

5. अध्यक्षीय घोषणा.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि, “माननीय सदस्यों को सत्र से संबंधित साहित्य का वितरण सूचना कार्यालय स्थित खानेदार अलमारी से किया जाता है. यह देखा गया है कि कितिपय माननीय सदस्यों द्वारा अपनी खानेदार अलमारी से साहित्य नहीं उठाया जा रहा है, जिससे अलमारियाँ भर गई हैं और साहित्य रखने की जगह नहीं है. अतः माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया सूचना कार्यालय में जाकर खानेदार अलमारी से प्रत्येक दिवस साहित्य प्राप्त करने का कष्ट करें.”

6. ध्यानाकर्षण

(1) श्री रामनिवास रावत, सदस्य द्वारा श्योपुर जिले के विजयपुर क्षेत्र में पदस्थ विद्युत कर्मियों द्वारा कुषि उपभोक्ताओं पर नियम विरुद्ध विद्युत चोरी के प्रकरण बनाये जाने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया गया.

श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री द्वारा (कुछ विलम्ब से उपस्थित होकर) वक्तव्य दिया गया.

(2) श्री अनिल जैन (निवाड़ी), सदस्य द्वारा निवाड़ी जिला प्रारंभ होने से लंबी अवधि के बाद भी विभागों को डी.डी.ओ. कोड प्रदाय न करने की ओर उप मुख्यमंत्री (वित्त) का ध्यान आकर्षित किया गया.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) द्वारा वक्तव्य दिया.

7. आवेदनों की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार दैनिक कार्यसूची में उल्लेखित निम्नलिखित सदस्यों के आवेदन प्रस्तुत हुए माने गए :-

(1) श्री फूलसिंह बरैया, सदस्य, दतिया जिले के ग्राम कुरेठा से देगुआं चमर तक रोड निर्माण कराये जाने,

(2) श्री मथुरालाल डामर, सदस्य, रतलाम जिले के ग्राम सन्दला-झर में हायर सेकेण्ड्री स्कूल का निर्माण कराये जाने,

(3) श्री केशव देसाई, सदस्य, भिण्ड जिले के गोहद अंतर्गत ग्राम चितौरा से सिद्धपुरा तक रोड निर्माण कराये जाने,

(4) श्री श्रीकांत चतुर्वेदी, सदस्य, मैहर जिले के ग्राम नादन में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

(5) श्री भैरोसिंह बापू, सदस्य, आगर-मालवा जिले के ग्राम मरीसपुर से गोपालपुर होते हुए गणेशपुरा तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(6) श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य, शिवपुरी जिले के करैरा अंतर्गत ग्राम दीबट-दिदावली के मध्य बरुआ नाले पर रपटा निर्माण कराये जाने,

(7) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, भोपाल शहर के बी.डी.ए. कार्यालय से रचना नगर अण्डर ब्रिज तक सड़क का निर्माण कराये जाने,

(8) श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य, दतिया जिले के इन्दरगढ़ नगर में सभी रोडों के मध्य डिवाईडर एवं दोनों ओर सड़क निर्माण कराये जाने,

(9) श्री मोन्टू सोलंकी, सदस्य, बड़वानी जिले के ग्राम झिरीजामली से पांजरिया तक सड़क का निर्माण कराये जाने,

(10) श्री प्रह्लाद लोधी, सदस्य, पन्ना जिले के ग्राम कोल करइया में नदी पर घाट का निर्माण कराये जाने,

(11) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य, रतलाम जिले के काबुलखेड़ी फंटा से उपमण्डी सुखेड़ा पहुंच मार्ग की स्वीकृति प्रदान करने,

(12) श्री सोहनलाल बाल्मीकी, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के परासिया अंतर्गत कुण्डालीखुर्द, मानकादेही मार्ग का निर्माण कराये जाने,

(13) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम पंचायत वम्हौरी अंतर्गत ग्राम सिनौनी में पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने,

(14) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम लुहरा से सुकौरा तक सड़क का निर्माण कराये जाने,

(15) इंजी. श्री प्रदीप लारिया, सदस्य, सागर जिले के शासकीय सिविल अस्पताल मकरोनिया में दंत चिकित्सा विभाग प्रारंभ किये जाने,

(16) श्री बिसाहूलाल सिंह, सदस्य, अनूपपुर जिले में कृषि महाविद्यालय खोले जाने,

(17) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य, धार जिले के सरदारपुर के जैलाना में आदिवासी बालक छात्रावास एवं बरमण्डल तथा दत्तीगांव में 50 सीटर आदिवासी बालिका छात्रावास प्रारंभ करने,

(18) डॉ. सतीश सिकरवार, सदस्य, ग्वालियर शहर के वार्ड क्रमांक-28 हरनामपुरा बजरिया की पुलिया का पुनर्निर्माण कराये जाने,

(19) श्री विपिन जैन, सदस्य, मंदसौर जिले की ग्राम पंचायत पानपुर में सोमली नदी पर रपटा निर्माण कराये जाने,

(20) श्री दिनेश राय, सदस्य, सिवनी जिले के ग्राम खेरी से सिमरिया तक मार्ग निर्माण कराये जाने,

(21) श्री शरद जुगलाल कोल, सदस्य, शहडोल जिले के ब्यौहारी अंतर्गत जयसिंह नगर में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय का भवन निर्माण एवं मरम्मत कार्य कराये जाने,

(22) श्री साहब सिंह गुर्जर, सदस्य, ग्वालियर शहर के वार्ड क्र.-65 विष्णु कॉलोनी में सड़क निर्माण कराये जाने,

(23) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक, सदस्य, कटनी जिले के विजयराघवगढ़ अंतर्गत ग्राम हदरहटा के उठिन टोला से हर्दी बरनमहगांव तक पहुंच मार्ग का निर्माण कराये जाने,

(24) सुश्री रामश्री राजपूत, सदस्य, छतरपुर जिले की ग्राम पंचायत मड़देवरा अंतर्गत ग्राम बसाई में शास. प्राथमिक शाला का निर्माण कराये जाने,

(25) डॉ. हिरालाल अलावा, सदस्य, धार जिले के मनावर अंतर्गत ग्राम सावलाखेड़ी में सड़क निर्माण कराये जाने,

(26) श्री केदार चिङ्गाभाई डावर, सदस्य, खरगोन जिले के भगवानपुरा अंतर्गत ग्राम भैरूपुरा तक

डामरीकृत सड़क निर्माण कराये जाने,

(27) श्री अनिल जैन (निवाड़ी), सदस्य, निवाड़ी जिले के टीकमगढ़-झांसी मार्ग पर ओरछा रेलवे स्टेशन के पास एक अण्डर ब्रिज बनाये जाने,

(28) श्रीमती सेना महेश पटेल, सदस्य, अलीराजपुर जिले के ग्राम कालुवार की हथनी नदी पर चौकीदार फलिया में पुलिया सह स्टाप डेम का निर्माण कराये जाने,

(29) श्री कालुसिंह ठाकुर, सदस्य, धार जिले के वि.ख. नालछा अंतर्गत ग्राम जुनीआली में पुलिया का निर्माण कराये जाने,

(30) श्री मधु भाउ भगत, सदस्य, बालाघाट जिले के ग्राम खामी से वरुण घोटा मार्ग पर पुल निर्माण कराये जाने,

(31) श्री अभय मिथा, सदस्य, रीवा जिले के सेमरिया में प्रतापपुर माईनर नहर से जरमोहरा बांध तक पानी पहुंचाये जाने हेतु सब माईनर नहर का निर्माण कराये जाने,

(32) श्री राजन मण्डलोई, सदस्य, बड़वानी जिले के ग्राम चिप्याखेड़ी एवं धुघसी के मध्य गोई नदी पर रपटा/पुलिया निर्माण कराये जाने,

(33) श्रीमती अनुभा मुंजारे, सदस्य, बालाघाट जिले के लालबर्रा अंतर्गत ग्राम खोगाटोला से मुरझड के मध्य सर्टी नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने,

(34) श्री विवेक विक्की पटेल, सदस्य, बालाघाट जिले की तहसील खैरलांजी को अनुविभाग (राजस्व) में उन्नयन किये जाने,

(35) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी, सदस्य, खरगोन जिले के ग्राम खेरदा से जुनापानी जैनुद नवलपुरा तक प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत स्वीकृति प्रदाय करने,

(36) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे, सदस्य, भिण्ड जिले के अटेर अंतर्गत ग्राम पंचायत मुडियाखेड़ा के बघेल विहार में विद्युत सेपरेशन का कार्य कराये जाने.

8. अनुपस्थिति की अनुज्ञा.

सदन द्वारा निर्वाचिन क्षेत्र क्रमांक 38-देवरी से निर्वाचित सदस्य, श्री बृजविहारी पटेरिया को विधान सभा के फरवरी, 2024 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की गई।

9. वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2016-17 के आधिक्य व्यय के विवरणों का उपस्थापन.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) द्वारा वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2016-17 के आधिक्य व्यय के विवरणों का उपस्थापन किया गया।

10. वर्ष 2024-25 के वार्षिक वित्तीय विवरण का उपस्थापन.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) द्वारा वर्ष 2024-25 के वार्षिक वित्तीय विवरण का उपस्थापन किया गया।

11. वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक (लेखानुदान) का उपस्थापन.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) द्वारा वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक (लेखानुदान) का उपस्थापन किया गया।

12. शासकीय विधि विषयक कार्य.

(1) श्री राजेन्द्र शुक्ल, उप मुख्यमंत्री (चिकित्सा शिक्षा) द्वारा मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 1 सन् 2024) पुरस्थापित किया गया।

(2) श्री गौतम टेटवाल, राज्यमंत्री की अनुपस्थितिवश प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय (निरसन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 2 सन् 2024) पुरस्थापित नहीं हो सका।

13. अध्यक्षीय व्यवस्था.

श्री रामनिवास रावत, सदस्य द्वारा प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय (निरसन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 2 सन् 2024) का पुरःस्थापन करने के समय, श्री गौतम टेटवाल, राज्य मंत्री की सदन में अनुपस्थिति पर आपत्ति उठाई गई। इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि “मैं संसदीय कार्य मंत्री से बात करूँगा, आपकी आपत्ति विल्कुल ठीक है। उप मुख्यमंत्री (वित्त) जी, आप संसदीय कार्य मंत्री जी को अवगत कराएँ कि जब मंत्रियों का विजनेस हो तो उनको गंभीरता से सदन में उपस्थित होना चाहिए।”

14. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

(3) श्री जगदीश देवडा, उप मुख्यमंत्री (वाणिज्यिक कर) द्वारा मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 3 सन् 2024) पुरःस्थापित किया गया।

15. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा का पुनर्ग्रहण.

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर दिनांक 7 फरवरी, 2024 को प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर 8 एवं 9 फरवरी 2024 को हुई चर्चा के क्रम में, निम्नलिखित सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया :-

- (15) डॉ. अभिलाष पाण्डेय
- (16) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यान सिंह सोलंकी
- (17) डॉ. योगेश पण्डाग्रे

सभापति महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए।

- (18) श्री प्रताप ग्रेवाल
- (19) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा
- (20) श्री कमलेश्वर डोडियार
- (21) श्री रजनीश हरवंश सिंह
- (22) श्री विजय रेवनाथ चौरे
- (23) श्री राजेश कुमार वर्मा
- (24) श्री दिनेश जैन “बोस”
- (25) श्री महेश परमार
- (26) एडव्होकेट श्रीमती निर्मला सप्रे
- (27) श्री रामनिवास शाह

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए।

- (28) श्रीमती अनुभा मुंजारे
- (29) डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान
- (30) श्रीमती सेना महेश पटेल
- (31) श्री प्रीतम लोधी
- (32) श्री चैन सिंह बरकड़े
- (33) श्री ओमकार सिंह मरकाम
- (34) श्री दिनेश गुर्जर
- (35) श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे
- (36) श्री उमंग सिंधार, नेता प्रतिपक्ष

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री द्वारा चर्चा का उत्तर देना प्रारंभ किया गया।

16. बहिर्गमन.

श्री उमंग सिंधार, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कॉर्गेस पक्ष के सदस्यों द्वारा मुख्यमंत्री महोदय के उत्तर का विरोध करते हुए सदन से बहिर्गमन किया गया।

17. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा का पुनर्ग्रहण。(क्रमशः)

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री महोदय द्वारा उत्तर पूर्ण किया गया।

(संशोधनों पर एक साथ मत लिया गया।)

समस्त संशोधन अस्वीकृत हुए।

कृतज्ञता ज्ञापन स्वीकृत हुआ।

18. नियम 267-क के अधीन विषय.

- (1) श्री हरिसिंह सप्रे, सदस्य द्वारा विदिशा जिले में जल जीवन मिशन कार्य में अनियमितता होने,
- (2) श्री गोपाल सिंह, सदस्य द्वारा सेल मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड मेहतवाड़ा, जिला सीहोर में कर्मचारियों एवं मजदूरों के वेतन का भुगतान नहीं होने,
- (3) श्री महेश नागेश, सदस्य द्वारा नरसिंहपुर में ओब्हर लोडिंग वाहनों से सड़कों एवं पुलों को बचाने,
- (4) डॉ. तेजबहादुर चौहान, सदस्य द्वारा नागदा स्थित ग्रेसिम उद्योग में कार्यरत मजदूरों को वेतनमान एवं अन्य हितलाभ दिए जाने,
- (5) श्री जितेन्द्र उदय सिंह पंड्या, सदस्य द्वारा बड़नगर विधान सभा क्षेत्र को नर्मदा, गंभीर समूह जल प्रदाय योजना से जोड़ने एवं
- (6) श्री सुशील कुमार तिवारी, सदस्य द्वारा जबलपुर जिले की आधारताल तहसील में राजस्व अभिलेख उपलब्ध न होने

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएँ सदन में पढ़ी गईं।

अपराह्न 6.02 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 13 फरवरी, 2024 (24 माघ, शक संवत् 1945) के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

भोपाल
दिनांक 12 फरवरी, 2024

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश विधान सभा।